न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–05/2022 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

रोशनी धर्मपत्नी स्व. श्री हरी सिंह पुत्र श्री प्रताप जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलाण्ट

बनाम

प्रताप पुत्र श्री मंशाराम जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 23.03.2022 बअदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा प्रकरण सं. 12/2021 अनवान प्रताप बनाम रोशनी के सम्बन्ध में।

निर्णय

दिनांकः–21.06.2023

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि "प्रार्थी स्थाई रूप से तहसील भादरा का मूल निवासी है एवं 76 वर्षीय वृद्ध, बीमार एवं असहाय व्यक्ति है। प्रार्थी की धर्मपत्नी सदा कौरी भी 75 वर्षीय वृद्ध बीमार औरत है। प्रार्थी वरिष्ठतम नागरिक की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीया प्रार्थी के मृतक पुत्र हरी सिंह की धर्मपत्नी है। अप्रार्थीया काफी हिसांत्मक एवं अपराधिक प्रवृति की औरत है जो प्रार्थी दम्पति को ब्लैकमेल करते हुए उन्हें उनकी अचल सम्पति से बेदखल कर हडप करना चाहती है। इसी मंशा से अप्रार्थीया ने पूर्व मे मिथ्या कथनों पर प्रार्थी के विरुद्ध एक झूठा 364, 323, 341 आई.पी.सी. का मुकदमा पुलिस थाना भादरा में करवा दिया जिसमें बाद जांच पुलिस थाना भादरा ने धारा 354 आईपीसी का अपराध घटित नहीं होना पाया। प्रार्थी बहुत ही मेहनत से अपने जीवनकाल में रासलाना में एक भूखण्ड जरिये इकरारनामा कुरड़ाराम से दिनांक 08.07.1975 को खरीद किया था और उसी के पास प्रार्थी का एक पट्टेशुदा भूखण्ड है। प्रार्थी ने अपने दोनों भूखण्डों को एकल करके अपना रिहायशी मकान बना रखा है। अप्रार्थीया ताकत व हिंसा के बल पर प्रार्थी दम्पति की वृद्धा एवं बीमार अवस्था का अनुचित फायदा उठाते हुए आपराधिक तरीके से हमें हमारे मकान से बेदखल कर जबरिया कब्जा कर लिया जबकि प्रार्थी दम्पति इसी भूखण्ड के एक कोने में बने कोठे में जीवनयापन के लिए मजबूर हो रहे है। प्रार्थी दम्पति के पास जब कोई रिश्तेदार एवं विवाहित पुत्रियां मिलने के लिए आते है तो अप्रार्थीया उनके सामने प्रार्थी दम्पति को फौस गालिया निकालते हुए मारपीट कर बेईज्जत करती है। प्रार्थी दम्पति स्वयं को समाज में एवं परिवार में काफी अपमानित व बेईज्जत महसूस कर रहे है एवं सभ्य समाज में उनका समानपूर्वक जीवनयापन करना काफी कठिन एवं दुभर हो रहा है आदि अभिकथनों के साथ यह अनुतोष चाहा कि अप्रार्थीया प्रार्थी दम्पति के मकान से बेदखल किया जाकर उसका भौतिक व वास्तविक कब्जा प्रार्थी दम्पति को संभलवाया जावे एवं अप्रार्थीया को आदेश पारित किया जावे कि वह प्रार्थी दम्पति पर किसी भी प्रकार की हिसांत्मक करते हुए अत्याचार नहीं करे एवं प्रार्थी दम्पति के मान सम्मान व मर्यादा को ठेस ना पहुंचाए।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक पक्षीय निर्णय दिनांक 23.03.2022 पारित किया गया जिसका प्रभावी अंश निम्न प्रकार है–"न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीया एक विधवा औरत है जिसके रिहायश को ध्यान में रखते हुए आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीया प्रार्थी को उसके पट्टेशुदा व

इकरारनामा से खरीदशुदा रिहायशी मकान में से प्रार्थी को रिहायश हेतु 1/2 हिस्सा में दीवार तामीर करने व रिहायश करने में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें एवं अप्रार्थीया को पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी दम्पति के साथ अमानवीय व्यवहार ना करें जिससे की प्रार्थी दम्पति को मानसिक को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/अपीलाण्ट की विधिवत् एवं सम्यक रूप से तामील होने के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त निर्णय दिनांक 23.03.2022 पारित किया गया है। अपीलाण्ट इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करती है– पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण का आक्षेपित आदेश दिनांक 23.03.2022 कतई गलत, अनुचित, विधि विरूद्ध एवं मनमाना होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट एक वृद्ध व विधवा औरत है तथा प्रश्नगत परिसर के एक भू–भाग में अपने अव्यस्क पुत्र व पुत्री के साथ शुरू से ही रहती चली आ रही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के अधिवास के संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है जिससे अपीलाण्ट सही न्याय पाने से वंचित हुई है। अपीलाण्ट पर विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन और उसके साथ संलग्नकों की प्रतियां सहित सम्मन/नोटिस की विधिवत् एवं सम्यक तामील नहीं हुई जिसके कारण प्रार्थीया विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है। अपीलाण्ट की विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अहम जबाबदेही एवं प्रतिरक्षा थी जिससे अपीलाण्ट वंचित हुई है। अपीलाण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 के पारित होने के पश्चात रेस्पोडेंट व उसकी पत्नी सदाकौरी ने अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण के अधिवास के 1/2 हिस्सा के आगे चारदीवारी निर्मित कर अपीलाण्ट व उसके अव्यस्क संतानों को अपने मकान में आने–जाने से बाधित कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेंट व उसकी पत्नी सदाकौरी से निवेदन किया कि वे अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण के अधिवास के भू–भाग में आवागमन हेतु रास्ता बाधित न करे लेकिन उन्होनें अपीलाण्ट के निवेदन को कतई नजरअंदाज कर दिया और उन द्वारा अपीलाण्ट को यह बताया गया कि उनके पक्ष में न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा का इस संबंध में आदेश है जिस पर अपीलाण्ट ने उपखण्डाधिकारी भादरा से शोषित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो अपीलाण्ट को ज्ञात हुआ कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सम्मन की तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेंट के उक्त मनमाने एवं विधि विरुद्ध कृत्य व आचरण के कारण अपीलाण्ट व उसकी संतानों को उनके हिस्सा के अधिवास में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध न होने के कारण भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति कारित हो रही है और वे अपने हिस्सा के अधिवास के मकान में आ–जा नहीं सकते है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने आधिपत्य के मकानात में घरेलू सामान रखा हुआ है। अपीलाण्ट को मजबूरन अड़ौस पड़ौस के घरों की चारदीवारी के उपर से होकर अपने हिस्से के मकान में आना जाना करना पड़ रहा है जो कतई कष्टदायी व असुविधा पूर्ण है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 23.03.2022 अपास्त फरमाया जावे। उपरोक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाण्ट के हिस्सा के मकान के आगे निर्मित व अवरोध स्वरूप खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को आवागमन हेतु समुचित रास्ता उपलब्ध करवाये जाने की कृपा की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट स्वयं व जरिये न्यायमित्र श्री कासम अली एवं रेस्पोडेन्ट जरिये न्याय मित्र श्री पवन श्रीवास्तव वकील उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलांट जरिये न्यायमित्र अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की आड़ में रेस्पोडेंट व उसकी पत्नी सदाकौरी ने अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण के अधिवास के 1/2 हिस्सा के आगे चारदीवारी निर्मित कर अपीलाण्ट व उसके अव्यस्क संतानों को अपने मकान में आने–जाने से बाधित कर दिया गया। अपीलाण्ट व उसकी संतानों को उनके हिस्सा के अधिवास में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध न होने के कारण भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति कारित हो रही है और वे अपने हिस्सा के अधिवास के मकान में आ–जा

नहीं सकते है। अपीलाण्ट को मजबूरन अड़ौस–पड़ौस के घरों की चारदीवारी के उपर से होकर अपने हिस्से के मकान में आना जाना करना पड़ रहा है जो कतई कष्टदायी व असुविधा पूर्ण है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के हिस्सा के मकान के आगे निर्मित व अवरोध स्वरूप खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को आवागमन हेतु समुचित रास्ता उपलब्ध करवाये जाने बाबत निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट ने जरिये न्यायमित्र उपस्थित होकर अपीलाण्ट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पास जो भी कृषि भूमि व प्लॉट है उसमें से एक हिस्सा मेरे साथ रहने वाले बेटे व आधा हिस्सा अपीलाण्ट को दे रखी है। अपीलाण्ट काफी झगड़ालू एवं अपराधिक प्रवृति की औरत है। रेस्पोडेन्ट के पास जब कोई रिश्तेदार एवं विवाहित पुत्रियां मिलने के लिए आते है तो अपीलाण्ट उनके सामने रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नी को फौस गालिया निकालते हुए मारपीट कर बेईज्जत करती है। रेस्पोडेन्ट स्वयं को समाज में एवं परिवार में काफी अपमानित व बेईज्जत महसूस कर रहे है। न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट द्वारा दोनों पक्षों के निवास के मकान की बाहर गली की तरफ की फोटो पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के हक्क व हिस्सा में आये कमरे में से आने–जाने हेतु अलग से रास्ता उपलब्ध है। अतः रेस्पोडेन्ट अपनी शेष उम्र शान्ति व इज्जत से बिता सके इस हेतु अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

दोनों पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2022 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट से अपीलाण्ट के हिस्सा के मकान के आगे निर्मित व अवरोध स्वरूप खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को आवागमन हेतु समुचित रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलाण्ट एक विधवा औरत है जिसके हिस्सा के मकान के आगे रेस्पोडेन्ट द्वारा अवरोध स्वरूप दीवार खड़ी कर दी गई है जिसके कारण अपीलाण्ट व उसकी संतानों को उनके हिस्सा के अधिवास में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध न होने के कारण भारी असुविधा हो रही है। न्यायामित्र रेस्पोडेन्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट एक वृद्ध व इज्जतदार व्यक्ति है। अपीलाण्ट झगड़ालू प्रवृति की होने कारण आये दिन झगड़ती रहती है। रेस्पोडेन्ट की वृद्धावस्था व मान–सम्मान को देखते हुए दीवार को न हटाया जाये। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के खरीदशुदा रिहायशी मकान में से अपीलाण्ट को रिहायश हेतु 1/2 हिस्सा पहले से ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को अपने निवास में आने–जाने हेतु रास्ता नहीं होने के सम्बन्ध जो तथ्य अंकित किये है, के सम्बन्ध में न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश दोनों पक्षों के अधिवास स्थान की फोटो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट के हिस्से के कमरे का दरवाजा गली की तरफ खुलता है जिससे आने–जाने में कोई परेशानी प्रतीत नहीं होती है। इसलिए यह अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2022 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़